

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राजकीय निर्माण
निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 07 फरवरी, 2019

विषय:- स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेज-अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर में एल0ओ0पी0 के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्वज/2019/935, दिनांक 28-01-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेजों- अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर के उपकरणों के क्रय हेतु प्रति मेडिकल कालेज ₹0 2.00 करोड की अतिरिक्त धनराशि (कुल ₹0 10.00 करोड) राजकीय निर्माण निगम द्वारा नोडल प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेज- अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर हेतु शासनादेश संख्या-25/2018/796/71-3-2018-61/2018टी0सी0, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 द्वारा अनुमोदित उपकरणों की सूची में से प्रति मेडिकल कालेज हेतु एल0ओ0पी0 प्रथम वर्ष के अनुसार 145 उपकरणों एवं ब्लड बैंक के उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0 के पास रक्षित धनराशि में से स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेज- अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर को ₹0 2.00 करोड (प्रत्येक हेतु) अर्थात कुल ₹0 10.00 करोड (₹0 दस करोड) की धनराशि सम्बन्धित प्रधानाचार्यगण को उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।
2. शासनादेश संख्या-25/2018/796/71-3-2018-61/2018टी0सी0, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 एवं वित्त आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2018/बी-1-993/दस-2018-12(2)/2019, दिनांक 25-09-2018 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टियाँ 03 साल तक वैद्य रहेंगी। उक्त विशिष्टियों के आधार पर वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में उपकरणों का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
5. प्रश्नगत उपकरण का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/संबन्धित प्रधानाचार्य की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
 7. स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेजों में उपकरणों के क्रय किये जाने में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
 8. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं उपकरणों का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
 9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।
 10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
 11. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
 12. उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 13. उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-3964/71-1-2017-जी-283/2017, दिनांक 11.12.2017 में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
 15. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
 16. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षों में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई है।
 17. उपकरणों का क्रय उपलब्ध बजट की सीमा तक एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। इस निमित्त मेडिकल कालेजवार गैप एनालिसिस तथा एम0सी0आई0 मानकों के आधार पर महानिदेशक, चि0शि0 के द्वारा प्राथमिकता सूची तैयार करायी जाए और तदनुसार ही उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किया जाए।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:-01/2019/159(1)/71-3-2019 तदयदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उ०प्र० लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेज- अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।